कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 309/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना जहानागंज: दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.08.2025 को वादी मुकदमा सुखदेव राम पुत्र स्व0 चेतु राम ग्राम पकड़ी कला थाना तरवाँ तह0 मेहनगर जिला आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि आरोपी गण व ग्राम प्रधान द्वारा वादी के पोती प्रिती पुत्री गंगा प्रसाद के साथ मार पीट गाली गलौज करते हुए व जान से मारनें की धमकी दी गयी तथा दहेज की प्रताड़ना देकर दहेज के नाम पर 05 लाख रुपया व मोटर साइकिल माँग की गयी, न देने पर आवेदक के पोती को मगही नदी में ढकेल दिया गया, जिससे प्रिती की डुब गयी व शव का नहीं मिला, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0--255/25 धारा 85/80/61(2)/115(2)/352/351(3)3(5) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट दिनांक घटना 14.08.25 समय 7.00 बजे सुबह , घटनास्थल मगही नदी पुलिया व ग्राम टेल्हुआ बनाम 1. श्याम दुलारी पत्नी खदेरु राम 2. खदेरु राम पुत्र अज्ञात 3.पंकज कुमार पुत्र खदेरु राम 4. सुनिता पुत्री खदेरु राम 5. सूरज कुमार पुत्र खदेरु राम 6. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी गण नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ वतफ्तीशी श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदया के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 29/08/2025 को उ0नि0 अजय निषाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.खदेरु उर्फ खचेरु पुत्र स्व0 सुखदेव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष 2.सुरज पुत्र खदेरु उर्फ खचेरु निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को ब्रड़हलगंज पुलिया से समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0-255/25 धारा 85/80/61(2)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1.खदेरु उर्फ खचेरु पुत्र स्व0 सुखदेव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष
2.सुरज पुत्र खदेरु उर्फ खचेरु निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अजय निषाद, हे0का0 प्रमोद यादव व का0 अजय गौड़ थाना जहानागंज आजमगढ़

02.थाना- रौनापारः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादिनी मुकदमा के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक 18.08.2025 को वादिनी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को विपक्षी 1. सकेत उर्फ शशि पुत्र सुबाष पासवान 2. शनि पुत्र महेन्द्र पासवान व 3. चन्दन पुत्र विरेन्द्र पासवान निवासीगण ग्राम तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 20.08.25 को मु0अ0सं0 307/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम 1. सकेत उर्फ शशि पुत्र सुबाष पासवान 2. शनि पुत्र महेन्द्र पासवान व 3. चन्दन पुत्र विरेन्द्र पासवान निवासीगण ग्राम तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। पीड़िता की बरामदगी व बयान 180/183 बीएनएसएस व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पुर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 29.08.25 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त अभियुक्त शनि पुत्र महेन्द्र पासवान निवासी ग्राम तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को ग्राम भीमवर पुलिया से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शनि पुत्र महेन्द्र पासवान उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 307/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-शनि पुत्र महेन्द्र पासवान निवासी ग्राम तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 राजन कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 रंजीत मद्धेशिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

03.थाना- मेंहनाजपुरः आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 26.04.2025 को आवेदिका सुशीला देवी W/O मिश्रीलाल गोडं ग्राम मठबैजनाथपुर , थाना मेंहनाजपुर, जनपद-आजमगढ ने तहरीर दिया कि दिनांक 24/04/2025 को रात में लगभग 02:15 को जगी तो अपनी मोबाईल खोजी तो नही मिली तथा मैंने अपनी बच्ची को जगाने के लिए गयी तो देखा कि एक ही बच्ची हैं दूसरी बच्ची शीतल विस्तर पर नही थी। मैंने अपने अगल-बगल खोज बिन करके थक कर बैठी थी, कि लगभग 06.00 बजे लोगो से जानकारी मिली कि मेरी लड़की शीतल गांव के ही बगल के पकड़ी के पेड़ से लटकी हुई हैं। मैं-आनन-फानन में रोते विलखते पेड़ के पास पहुंची तो उसके गले में दुपट्टे से उसकी गर्दन कसकर लटका हैं। और उसका पैर जमीन से जुड़ा हुआ हैं। मुझको पूरा विश्वास हैं कि किसी के द्वारा मेरी लड़की को बुलाकर जान से मार कर टांग दिया गया था। क्योंकि मेरा फोन मेरी लड़की के टंगे शव के पास से ही मिला जिसकी सिम तोड़ दी गयी थी और पेड़ पर किसी के चढ़ने के निशान भी थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 38/2025 धारा 103(1)/324(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रामसेवक राजभर उर्फ शिवा पुत्र रामसूरत राजभर निवासी ग्राम मठबैजनाथपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया तथा तरमीमी धारा 108 बीएनएस में किया गया है।। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष मनीष पाल के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 29.08.2025 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामसेवक राजभर उर्फ शिवा पुत्र रामसूरत राजभर निवासी ग्राम मठबैजनाथपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को तियरा मोड से समय करीब 07.40 बजे प्रातः कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1- मु0अ0सं0 38/2025 धारा 103(1)/324(1) बीएनएस तरमीम धारा 108 बीएनएस थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1-रामसेवक राजभर उर्फ शिवा पुत्र रामसूरत राजभर निवासी ग्राम मठबैजनाथपुर थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :

1. थानाध्यक्ष मनीष पाल थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना मेंहनाजपुर , आजमगढ़
3. म0का0 सोमवती थाना मेंहनाजपुर , आजमगढ़